

हिमाचल प्रदेश सरकार  
कार्मिक विभाग (नि०-III)

.....

संख्या: पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-1/2007-III तारीख शिमला-02,

26.09.2022

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-1/2007-II, तारीख 16 सितम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संक्षिप्त नाम<br>और प्रारम्भ। | 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2022 है।<br>(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। |
| उपाबन्ध-“क”<br>का संशोधन।     | 2. हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग- III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबन्ध-“क” में:-                                                                                                                            |

(i) स्तम्भ संख्या: 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान:

हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन), 2022 के अनुसार पे-मैट्रिक्स का लेवल-4 (₹20600-65500)

(ख) कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्राद्योगिकी) के संवर्ग में पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत को संवर्ग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई. टी.) के रूप में कम से कम 5 वर्ष के नियमित सेवाकाल के पश्चात् हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पे मैट्रिक्स का लेवल-10 (₹ 38100-120400) दिया जाएगा तथा इन पदों के पदधारी (पदधारियों) को स्थानन द्वारा कनिष्ठ सहायक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियाँ:-

हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पे-मैट्रिक्स के लेवल-4 के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत (₹12360/-)”

(ii) स्तम्भ संख्या: 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) अनिवार्य अर्हता(एं):

- (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए ।

या

किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं सहित समय-समय पर महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण (भारत सरकार) द्वारा यथा अधिसूचित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र (आई.टी.ई.एस.) में एक/दो वर्ष का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा यथा अनुमोदित किसी बहुतकनीकी संस्थान से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा:

परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दसवीं और 10+2 की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से अवश्य उत्तीर्ण की हो:

परन्तु यह और कि यह शर्त स्थाई हिमाचल निवासियों के लिए लागू नहीं होगी ।

- (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखता हो:

परन्तु एक प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत

चयनित/ भर्ती किए गए दृष्टि बाधित व्यक्तियों को कंप्यूटर विज्ञान/ कंप्यूटर एप्लीकेशन/सूचना

प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा प्राप्त करने और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट होगी इसके सिवाए उन्हें सम्बद्ध विभाग द्वारा कम्पोजिट क्षेत्रीय केन्द्र (सी.आर.सी.), सुन्दरनगर या दृष्टिबाधित अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एन०आई०वी०एच०), देहरादून या कम्पोजिट ट्रेनिंग सेन्टर (सी०टी०सी०) लुधियाना के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण सहित आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें उपरोक्त प्रशिक्षण को पूर्ण करना होगा, जिसके लिए उन्हें तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई पदधारी उसे अर्हित करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तथापि, उन पदधारियों को जो पहले से ही सेवारत हैं, पूर्वोक्त प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में अवसर प्रदान किए जाएंगे:

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा टंकण-परीक्षा के लिए असमर्थ प्रमाणित किए जाने पर भी अन्यथा अर्हित हैं, को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण: पद “दिव्यांगजन” के अंतर्गत, वे

व्यक्ति नहीं आते हैं जो दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल वे व्यक्ति

ही आते हैं जिनकी शारीरिक निःशक्तता/विकृति स्थायी रूप से उन्हें टंकण करने से निवारित करती है।

टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान करने के लिए उपरोक्त मानदण्ड कम्प्यूटरों पर दक्षता परीक्षण मानकों के लिए भी लागू होंगे।

(ख) वांछनीय अर्हता (ए):

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।”;

(iii) स्तम्भ संख्या: 8 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“आयु : लागू नहीं

शैक्षिक अर्हता : हाँ, जैसा कि स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान है।

(iv) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) यथास्थिति 70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) 20 प्रतिशत नियमित वर्ग—IV कर्मचारियों, जो 10+2 की अर्हता रखते हों में से, हिमाचल

प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीमित सीधी भर्ती द्वारा जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या दैनिक भोगी अथवा संविदा आधार पर की गई लगातार सेवा को सम्मिलित करके 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(iii) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।”

(v) स्तम्भ संख्या: 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(i) 20 प्रतिशत नियमित वर्ग- IV कर्मचारियों, जो 10+2 की अर्हता रखते हों में से, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीमित सीधी भर्ती द्वारा, जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या दैनिक भोगी आधार पर या संविदा के आधार पर की गई लगातार सेवा को सम्मिलित करके 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। पात्र वर्ग- IV कर्मचारी अंग्रेजी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति या हिन्दी टंकण में 20 शब्द प्रति मिनट की

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा भी अर्हित करेंगे।

- (ii) 10 प्रतिशत वर्ग-IV कर्मचारी, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो, में से प्रोन्नति द्वारा और जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो:

परन्तु इस प्रकार कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के रूप में प्रोन्नत वर्ग-IV कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से टंकण परीक्षा अर्हित करनी होगी जिसका संचालन संबद्ध विभाग द्वारा किया जाएगा और अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी विहित अवधि के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसकी परिवीक्षा विस्तारित कर दी जाएगी। इस अवधि के दौरान पदधारियों को एक और अवसर मिलेगा। यदि कोई अभ्यर्थी विस्तारित अवधि में भी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे कनिष्ठ कार्यालय सहायक 'आई.टी.' से वर्ग-IV पद पर पदावनत कर दिया जाएगा।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र वर्ग- IV

कर्मचारियों की एक संयुक्त वरिष्ठता सूचि उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्गवार वरिष्ठता को छोड़े बिना अनुरक्षित की जाएगी।

परन्तु कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित दस बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:-

रोस्टर बिन्दु संख्या ।	प्रवर्ग ।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां, और आठवां	सीधी भर्ती ।
पांचवां और दसवां	सीमित सीधी भर्ती ।
नौवां	प्रोन्नति द्वारा ।

टिप्पण: रोस्टर, प्रत्येक दसवें बिन्दु के पश्चात तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक की समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात् रिक्ति को उसी प्रवर्ग में से भरा जाएगा, जिससे पद रिक्त हुआ हो:

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए



पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और भी कि उन कर्मचारियों को जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण- I :** उपर्युक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

**स्पष्टीकरण- II :** उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पाँगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरु के काठवाड़

और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण-।।। : उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान ।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में

लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग /पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी

परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुए हैं और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दि हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दि हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उस के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

- (vi) स्तम्भ संख्या: 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—  
“सीधी भर्ती की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर एप्लिकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र (आई. टी.ई.एस)/सूचना पद्धति (आई.पी.) का 70% पाठ्यक्रम तथा व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण होगा, जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग /हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।”
- (vii) स्तम्भ संख्या: 15—क (II) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—  
“संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) को प्रतिमास ₹12,360 समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे—मैट्रिक्स के लेवल—4 के प्रथम कोष्ठ का 60% होगा) संदत्त की जाएगी।
- (viii) स्तम्भ संख्या: 15—क (IV) के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—  
“संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति हेतु चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर

किया जाएगा, जिसमें कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर एप्लिकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र (आई.टी.ई.एस.)/सूचना पद्धति (आई.पी.) का 70% पाठ्यक्रम तथा व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण होगा, जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर/ अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।”

(ix) स्तम्भ संख्या: 15-क (VI) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“किसी अभ्यर्थी के चयन के पश्चात वह इन नियमों से सलग्न परिशिष्ट-I के अनुसार करार हस्ताक्षरित करेगा।”

(x) स्तम्भ संख्या: 15-क (VII)(क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) को प्रतिमास ₹12,360/- समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे-मैट्रिक्स के लेवल-4 के प्रथम कोष्ठ का 60% होगा) संदत्त की जाएगी।”

3. उक्त नियमों के उपाबंध-क के परिशिष्ट-1 में शर्त संख्या 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम प्रतिमास ₹12,360/- होगी (जो पे-मैट्रिक्स के लेवल-4 के प्रथम कोष्ठ का 60% होगी)।

आदेश द्वारा,  
प्रबोध सक्सेना  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक),  
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-III dated 26.09.2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh  
Department of Personnel (AP-III)

No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-III Dated: Shimla-02, 26<sup>th</sup> September, 2022.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified vide this Department Notification No.Per(AP)-C-A(3)-1/2007-II dated 16<sup>th</sup> September, 2017, namely:-

Short title  
and commencement

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services Common Recruitment and Promotion (Third Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

Amendment of  
Annexure-A

2. In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III



(Non-Gazetted) Ministerial Services Common Recruitment and Promotion Rules, 2017,-

(i) For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:-

“(a) Pay Scale for regular incumbent(s):

Level 4 of the pay matrix (₹20600-65500) as per H.P. Civil Services(Revised Pay) Rules, 2022.

(b) Level 10 of the pay matrix (₹38100-120400) as per the H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022 to be given to the 50 % of the total number of posts of Junior Office Assistant (IT) in the cadre after minimum 5 years of regular service as Junior Office Assistant (IT) in the cadre and the incumbent of these posts shall be designated as Junior Assistant by placement.

(c) Emoluments for contract Employee(s):

60% of the first cell of the level 4 of pay matrix (₹ 12,360/-) as per the H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.”

(ii) For the existing provisions against column No. 7, the following shall be substituted, namely:-

(a) Essential Qualification(s):

- (i) Should have passed 10+2 Examination from a recognized Board of School Education/ University.

OR

Matriculation from recognized Board of School Education with one/two year's Diploma/ Certificate from an Industrial Training Institute (ITI) in information Technology (IT) & Information Technology Enabled Sectors (ITES) as notified by Director General of Employment & Training (Govt. of India) from time to time or three years Diploma in Computer Engineering/Computer Science /IT from a Polytechnic as approved by All India Council for Technical Education (AICTE):

Provided that the candidate must have passed matriculation and 10+2 from any school/Institution situated within Himachal Pradesh.

Provided further that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

- (ii) Computer typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.

Provided that visually impaired persons selected/recruited under 1% quota will be exempted from acquiring Diploma in Computer Science/Computer Application/Information Technology and passing of typing test instead they shall be imparted necessary basic training including computer training course by the Department concerned through Composite Regional Centre (CRC), Sundernagar or National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), Dehradun or Composite Training Centre (CTC), Ludhiana. They shall have to complete the above training for which three chances will be afforded. If the incumbent fails to qualify the same his services shall be terminated. However, the incumbents already in the service shall be afforded sufficient number of chances to complete the aforesaid training:

Provided further that differently abled persons who are otherwise qualified to hold clerical

post as certified being unable to type, by the Medical Board, may be exempted from passing the typing test.

Explanation:- The term, 'differently abled persons' does not cover visually impaired persons or persons who are hearing impaired but cover only those whose physical disability/deformity permanently prevents them from typing. The above criteria for grant of exemption from passing the typing test shall also be applicable to the skill test Norms on computers.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S):

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.”

(iii) For the existing provisions against column No. 8, the following shall be substituted, namely:-

“ Age: Not Applicable

Educational Qualification: Yes, as prescribed against Column No. 11. ”

(iv) For the existing provisions against column No. 10, the following shall be substituted, namely:-

“(i) 70% by direct recruitment on ‘regular’ basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

ii) 20% by Limited Direct Recruitment from amongst the ‘regular’ Class-IV officials possessing 10+2 qualification, through competitive examination to be conducted by the H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur, having five years regular service or regular combined with continuous service rendered on daily wages or on contract basis, failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.”

iii) 10% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.”

(v) For the existing provisions against column No. 11, the following shall be substituted, namely:-

“(i) 20% by limited direct recruitment from

amongst the 'regular' Class-IV officials possessing 10+2 qualification through competitive examination to be conducted by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, having five years regular service or regular combined with continuous service rendered on daily wages or on contract basis. The eligible Class-IV officials will also qualify the typing test with the minimum speed of 25 words per minute in English Typewriting OR 20 words per minute in Hindi Typewriting on Computer to be conducted by the Staff Selection Commission, Hamirpur.

- ii) 10% by promotion from amongst the Class-IV officials who have passed 10+2 examination from a recognized Board of School Education/ University and possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:

Provided that the Class-IV officials so promoted as JOA(IT) will have to qualify the typing test with a minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting on computer within the probation period which will be conducted by the concerned Department and the incumbents will get three chances during the probation period. If the candidate fails to qualify the typing test within the prescribed period, his probation will be

extended. During this period the incumbents will get one more chance. If the candidate still fails to qualify the typing test in the extended period, he will be reverted from JOA(IT) to Class-IV post.

For the purpose of promotion, a combined seniority of eligible Class-IV officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be maintained.

Provided that for filling up the posts of JOA(IT), the following 10 points recruitment roster shall be followed:-

Roster Point No.	Category
1 <sup>st</sup> , 2 <sup>nd</sup> , 3 <sup>rd</sup> , 4 <sup>th</sup> , 6 <sup>th</sup> , 7 <sup>th</sup> , & 8 <sup>th</sup>	Direct Recruit
5 <sup>th</sup> & 10 <sup>th</sup>	Limited direct recruit
9 <sup>th</sup>	Promotee

Note: The roster will be rotated after every 10 points till the prescribed percentage is achieved whereafter the point vacated will be filled up from the respective category to which the point belongs.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/ Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/ transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Official who has not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

**Explanation I:** For the purpose of proviso (I) supra the “term” in Tribal/Difficult/Hard area/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

**Explanation II:-**For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.



**Explanation III:** For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under:

- i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.
- ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
- iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules:

- (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation: The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

- (ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.”

- (vi) For the existing provisions against column No. 15, the following shall be substituted, namely:-  
“Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written

examination having 70% syllabus relating to Computer Science/Computer Application/Information Technology Enabled Sectors (ITES)/Information Practices (IP) and practical test or skill test the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission /Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur/ other recruiting agency/ authority, as the case may be. ”

(vii) For the existing provisions against column No.15-A(II), the following shall be substituted, namely:-

“The Junior Office Assistant (Information Technology) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹12,360/- per month (which shall be 60% of the first cell of the level 4 of pay matrix).”

(viii) For the existing provisions against column No.15-A(IV), the following shall be substituted, namely:-

“Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination having 70% syllabus relating to Computer Science/Computer Application/Information

Technology Enabled Sectors (ITES)/ Information Practices (IP) and practical test or skill test the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/ Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.”

- (ix) For the existing provisions against column No.15-A(VI), the following shall be substituted, namely:-

“After selection of a candidate, he/ she shall sign an agreement as per Appendix-(I) appended to these rules.”

- (x) For the existing provisions against column No.15 A(VII) (a), the following shall be substituted namely:-

“The Junior Office Assistant (information Technology) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹12360/- per month which shall be 60 % of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre.”

3. In Appendix-I of Annexure-A of the said rules for condition No. 2 the following shall be substituted namely:-

“The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹12360/-.”.

By order,

Prabodh Saxena  
Addl. Chief Secretary (Personnel) to the  
Government of Himachal Pradesh